संख्या -26/भा0स0 43/84-2-2013-सीपी 41/90 टीसी

प्रेषक,

राम मोहन सक्सेना,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

सचिव,
भारत सरकार,
उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय,
उपभोक्ता मामले विभाग, कृषि भवन, नई दिल्ली।

उपभोक्ता संरक्षण एवं बांट माप अनुभाग-2 लखनऊ : दिनांक : 16 जनवरी, 2014

विषय उत्तर प्रदेश में राज्य उपभोक्ता संरक्षण परिषद् के गठन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने अर्द्धशासकीय पत्र संख्या-2(5)2013-सीपीयू, दिनांक 13.12.2013 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2. इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रदेश में पूर्व से ही उपभोक्ता संरक्षण परिषद, उ0प्र0 गठित है। उक्त हेतु निर्गत की गयी अधिसूचना संख्या-सीपी 594/29-8-97-सीपी 41/90, दिनांक 14 मार्च, 1997, संख्या-सीपी 1005/29-8-98-सीपी 41/90 दिनांक 02 नवम्बर, 1998, संख्या- मु0स0 11/29-8-2006-सीपी 41/90, दिनांक 23 फरवरी, 2006 एवं संख्या-सीपी 490/84-2-2009-सीपी 41/90 टीसी दिनांक 27 अगस्त, 2009 की छायाप्रति संलग्न कर प्रेषित है।

संलग्नक-यथोक्त।

भवदीय,

(राम मोहन सक्सेना)
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in